न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 18/2020
गिर्राज पुत्र भिक्कन राम जाति वैश्य निवासी पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. महरम पत्नि मौज खां
3. रेशा पत्नि आंसू जाति मेव निवासी पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :– 14.12.2020

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 850/मिन 1/0.32, हाल खसरा नम्बर 1352/0.32 तथा साविक खसरा नम्बर 850/मिन 2/0.32 हाल खसरा नम्बर 1354/0.32 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी 2060 लगायत 2063, सम्वत 2074 लगायत 2074 संलग्न है। विवादित आराजी का प्रार्थी रिकॉडेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जिसमें खसरा नम्बर 850/मिन 2/0.32 , नवीन खसरा नम्बर 354/0.32 का आवश्यकतानुसार दिनांक 14.07.2014 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बेच दिया था। जो कि मौके पर दक्षिण दिशा में हस्सन, रफीक, की आराजी के पास स्थित है। जिसका नामान्तकरण संख्या 2392 दिनांक 20.11.2014 को ग्राम पंचायत पापडा द्वारा फैसल कर दिया गया और उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को खातेदार दर्ज कर दिया। लेकिन साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहवन से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 850/मिन 1/0.32 नवीन खसरा नम्बर 1352/0.32 पर भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर का बेचान कभी भी नहीं किया गया । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 850/मिन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1/0.32 पर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम सहवन से दर्ज कर दिया गया है जिस कारण प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है तथा प्रार्थी अपनी आराजी भूमि पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त है। निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 850/मिन 1/0.32 नवीन खसरा नम्बर 1352/0.32 पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चल रहे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नामों के गलत इन्द्राज में दुरस्ती कर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । उनके विरूद्ध दिनांक 13.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ने दिनांक 07.12.2020 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा साविक खसरा नम्बर 850/मिन /0.32 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1354/0.32 का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया गया है और मौके पर भी उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज है। दोनों नम्बरों का रकबा समान होने के कारण लिपिकीय भूल से दोनो खसरा नम्बर 1354/0.32 व 1352/0.32 पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। आराजी खसरा नम्बर साविक 850/मिन 1/0.32 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1352/0.32 पर मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है और राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1352/0.32 हैक्टर पर चल रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । तहसीलदार ने अपने जबाब से अवगत कराया है कि रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा साविक खसरा नम्बर 850/मिन /0.32 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1354/0.32 का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को किया गया है और मौके पर भी उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज है। दोनों नम्बरों का रकबा समान होने के कारण लिपिकीय भूल से दोनो खसरा नम्बर 1354/0.32 व 1352/0.32 पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। आराजी खसरा नम्बर साविक 850/मिन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1/0.32 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1352/0.32 पर मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है और राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1352/0.32 हैक्टर पर चल रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद विधिवत तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से पूर्णतः सहमत है। जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 58 में खसरा संख्या 850 मिन 1/0.32 पर नामांतरण संख्या 2392 दिनांक 20.11.14 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दर्ज रिकॉर्ड किया गया है एवं जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 में खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 850 मिन 2/0.32 पर भी नामांतरण संख्या 2392 दिनांक 20.11.14 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 को दर्ज रिकॉर्ड किया गया हैं एवं मुताबिक मिलान क्षेत्रफल वर्तमान खसरा नम्बर 1352 एवं 1354 का गत खसरा नम्बर 850 मिन से बनना प्रमाणित है। परन्तु नामांतरण संख्या 2392 दिनांक 20.11.14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को केवल 850 मिन/0.32 भूमि का ही बेचान किया गया है। परन्तु नामांतरण का जमाबन्दी में दोनो खातो में इन्द्राज कर दिया गया है। अतः यह एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। जिसे शुद्ध किया जाना हम उचित समझते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 850/मिन1 /0.32 हाल खसरा नम्बर 1352/0.32 बांके ग्राम पापडा पर राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नामों के इन्द्राज को कलमजन कर उनके स्थान पर प्रार्थी गिर्राज प्रसाद पुत्र भिक्कन राम जाति वैश्य निवासी पापडा तहसील पहाडी को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner